फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

दयाराम बनाम **सोहना**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 23 सन–2019

..ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
..3.2019	प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 इस आश्य की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 89/73 के कुल किता 20 का कुल क्षेत्रफल 4.5520हैक्ट एवं रोही मौजा चक 1 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 110/152 के कुल किता 19 का कुल 4.3260हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 27.05.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर	
27/5/19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त कर ग्रंथ नोहर का कार्य स्थगित। ... दि. 5.8.19	
5.8.19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी मौजूद ... ग्रंथ नोहर का कार्य स्थगित / ... तलबी पत्रावली दि. 30.8.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

30/8/19. पत्रावली पेश हुई वकील सायल व स्वयं सायल उपस्थित, सायल ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण का आपस में राजीनामा हो गया है प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता। खारिज किया जावें।

सायल के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश बसर्त इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)